अलगपुरम आर. मोहनराज और अन्य

बनाम

तमिलनाडु विधान सभा प्रतिनिधि जरिये सचिव और अन्य

(लिखित याचिका (सिविल) क्रमांक संख्या 455/2015)

(12 फरवरी, 2016)

[जे.चेलामेश्वर और अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14,19(1){छ), 21,105,194-राज्य विधानसभा के सदस्य-विशेषाधिकारों के भंग के लिए निलंबन-पहला विधानसभा प्रस्ताव जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं सहित उन्नीस सदस्यों को वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित किया जाता है-सदस्यों ने कथित रूप से सदन की कार्यवाही में बाधा डाली-इसके बाद, विशेषाधिकार समिति का गठन जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की कार्रवाई विशेषाधिकार का भंग है, और उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश की गई-दूसरा विधानसभा प्रस्ताव किया गया जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को सदन के अगले सत्र के दस दिनों के लिए निलंबित किया गया-सदस्यों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए या अन्य लाभ नहीं दिए जाने चाहिए-दूसरे प्रस्ताव को चुनौती देते हुए याचिका लिखें-आयोजित किया गयाःविधायक को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोककर, हालांकि विधानसभा में याचिकाकर्ता-सदस्यों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती की गई है, जिसके वे हकदार हैं!अनुच्छेद 194 लेकिन विवादित आदेश अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायपालिका की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। निकाय अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत आने वाला मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत विधानसभा को 'व्यवसाय' के रूप में नहीं माना जा

सकता है-इसके अलावा, विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी सदस्यों की पहचान करने और विशेषाधिकार हनन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एकमात्र सामग्री वीडियो रिकॉर्डिंग थी-यह सुनिश्चित करना समिति का कानूनी दायित्व था कि वीडियो रिकॉर्डिंग की एक प्रति सदस्यों को प्रदान की गई थी-वीडियो रिकॉर्डिंग की एक प्रति प्रदान करने में विफलता या याचिकाकर्ताओं को वीडियो रिकॉर्डिंग देखने का अवसर देने के परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भंग हुआ-मामले को पूरा करने के लिए एक उचित अवसर से इनकार-इस प्रकार, राज्य विधानसभा द्वारा दूसरा प्रस्ताव अलग कर दिया गया-तमिलनाडु विधानसभा -r.121 (2)-प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांत।

अनुच्छेद 105, 194, 19(एल) (ए)-विधायी निकाय के सदस्य के लिए उपलब्ध पीच की स्वतंत्रता और एक नागरिक में विरासत में प्राप्त बोलने की स्वतंत्रता-आयोजित का दायरा और विस्तारःवे पूरी तरह से अलग हैं-नागरिक को विधायी निकाय में प्रवेश करने और विधायी निकाय के लिए चुने जाने के बाद अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अधिकार है-विधायी निकाय की सदस्यता की समाप्ति के बाद, विधायक को विचार की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद लेना जारी नहीं रहेगा। 105 और 194।

न्यायिक पुनर्विलोकन -विधायी निकायों द्वारा सदस्यों के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित मामलों का दायरा-आयोजितःसीमित है-प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का पालन न करना सीमित आधारों में से एक है।

न्यायालय द्वारा रिट याचिका को अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 की योजना से यह स्पष्ट है कि विधायी निकायों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक घोषणा ऐसे विधायी निकायों के

सदस्यों पक्ष में एक संवैधानिक अधिकार पैदा करती है। इस तरह के अधिकार के आयाम और रूपरेखा अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के आयामों और रूपरेखाओं से बहुत अलग हैं। इसलिए, एक नागरिक में विरासत में मिली और विधायी निकाय के सदस्य के लिए उपलब्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा और विस्तार पूरी तरह से अलग है। किसी भी नागरिक को विधायी निकाय में प्रवेश करने और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि वह पहले कानून के अनुसार ऐसे विधायी निकाय के लिए नहीं चुना जाता है। विधायी निकाय की सदस्यता समाप्त होने के बाद किसी भी विधायक को अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विचार की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद लेना जारी नहीं रहेगा। [पैरा 18) [622-ए-बी; 623-सी; 624-ए-बी)

1.2 इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब किसी विधायक को सदस्यता की मुद्रा के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका जाता है। ऐसे विधायक के खिलाफ की गई कुछ कार्यवाही के आधार पर, उस सदन में विधायक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार में कटौती होगी, जिसका ऐसा विधायक सदस्य है। लेकिन इस तरह की कटौती को संविधान द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी गई है कि ऐसा अधिकार संविधान के अन्य प्रावधानों, विधायी निकायों की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन किया गया है। इसलिए, हालांकि तमिलनाडु की विधानसभा में याचिकाकर्ताओं के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती की गई है, जिसके वे विवादित आदेश के आधार पर अनुच्छेद 194 के तहत हकदार हैं, उक्त विवादित आदेश, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। [पैरा 19,20] [624-बी-डी]

1.3 संविधान द्वारा स्थापित विधायी निकायों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। इसलिए, तार्किक रूप से यह प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल होगा कि विधायी निकायों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत आने वाला एक मौलिक अधिकार हो सकता है। किसी भी नागरिक को विधानसभा का सदस्य बनने या पूरे जीवन के लिए बने रहने का अधिकार नहीं है। सदस्यता का अधिग्रहण मतदाताओं के निर्णय पर निर्भर करता है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जाता है। चुनाव के बाद भी कार्यकाल सीमित है। मौलिक अधिकार दूसरों की इच्छा से अस्तित्व में नहीं आते हैं। वे नागरिकों में निहित हैं और केवल कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन किसी भी कार्रवाई या दूसरों की मंजूरी की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने में सक्षम हैं। विधानसभा का कोई भी सदस्य तब तक पद धारण करता है जब तक कि ऐसी सदस्यता कानून द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया द्वारा समाप्त नहीं हो जाती। ऐसे पदों के धारण के लिए आकस्मिक कोई भी मौद्रिक लाभ केवल पद धारक द्वारा राष्ट्र की सेवा में खर्च किए गए समय और शक्ति की भरपाई के लिए है। यही कारण है कि विधानसभा के किसी सदस्य को आजीविका कमाने के उद्देश्य से पद धारण करने वाला नहीं माना जा सकता है। अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक 'व्यवसाय' के आर्थिक आधार और एक विधायक के कार्यालय से बहने वाले आर्थिक लाभों की क्षणिक और आनुषंगिक प्रकृति को अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए कि विधानसभा के किसी सदस्य को अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक 'व्यवसाय' के रूप में नहीं माना जा सकता है। [पैरा 25,26) [628-बी-जी]

1.4 राजा राम पाल मामले में इस अदालत ने कहा कि वेतन और अन्य लाभ जिनके लिए एक विधायी निकाय के सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान हकदार हैं, विशुद्ध रूप से उनकी सदस्यता के लिए आकस्मिक हैं और वे एक स्वतंत्र और अक्षम्य

संवैधानिक अधिकार भी नहीं बनाते हैं। इसलिए, निलंबन की अवधि के दौरान विधानसभा की सदस्यता के लिए आकस्मिक रूप से उनके वेतन और अन्य लाभों से वंचित होना-अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार से वंचित होना-उत्पन्न नहीं होता है। [पैरा 29] [629-डी जे]

1.5 विधायी निकायों द्वारा सदस्यों के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा सीमित है। हालाँकि, प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का पालन न करना उन सीमित आधारों में से एक है जिन पर उचित मामलों में विधायी निकायों की आंतरिक कार्यवाही के खिलाफ न्यायाधीशिक पुनर्विलोकन की जा सकती है। (पैरा 30) (629-एफ)

1.6 रिट याचिका से यह प्रतीत होता है कि विशेषाधिकार समिति और याचिकाकर्ताओं के बीच काफी पत्राचार हुआ था। विशेषाधिकार समिति ने छह याचिकाकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकी, हालांकि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि शुरू में निलंबित किए गए 19 विधायकों में से छह याचिकाकर्ताओं को किस आधार पर चुना गया था। प्रत्येक याचिकाकर्ता ने अलग-अलग पत्रों द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, विशेषाधिकार समिति ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में विशेषाधिकार का भंग हुआ था, और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। इस अनुशंसित कार्रवाई ने विधानसभा के प्रस्ताव का आधार बनाया। (पैरा 31) (630-बी-डी)

1.7 विशेषाधिकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त से यह स्पष्ट है कि समिति द्वारा सभी छह याचिकाकर्ताओं की पहचान करने और विशेषाधिकार भंग लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एकमात्र सामग्री वीडियो रिकॉर्डिंग थी। विशेषाधिकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वीडियो-रिकॉर्डिंग

ने उन निष्कर्षों पर पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो विशेषाधिकार समिति ने किए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग विशेष रूप से विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को दिखाई गई थी "क्योंकि उनमें से कुछ भूल गए होंगे कि केवल वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से दिखाई गई थी", जो इंगित करता है कि समिति केवल समिति के सदस्यों की स्मृति पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। वीडियो रिकॉर्डिंग ने विशेषाधिकार समिति के सभी सदस्यों के लिए सामान्य तथ्यात्मक मंच के रूप में काम किया, जहाँ से सदस्यों ने छह याचिकाकर्ताओं के कार्यों पर चर्चा की और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। (पैरा 35,38) (632-सी, जी; 633-ए-बी)

1.8 याचिकाकर्ता समिति को अनिवार्य रूप में याचिकाकर्ताओं को वीडियो रिकॉर्डिंग देखने का अवसर देना चाहिए था ताकि आदेश 14 की आवश्यकताओं के साथ उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अपनाया जा सके। शायद उन्हें यह समझाने का अवसर मिला होगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग में सभी या उनमें से कुछ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए कोई सबूत/सामग्री क्यों नहीं है या यह समझाने के लिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग की व्याख्या अलग तरह से की जानी चाहिए थी। वीडियो रिकॉर्डिंग की एक प्रति के लिए अनुरोध करना याचिकाकर्ताओं का बोझ नहीं है। यह सुनिश्चित करना विशेषाधिकार समिति का कानूनी दायित्व है कि प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा आदेश के लिए याचिकाकर्ताओं को वीडियो रिकॉर्डिंग की एक प्रति प्रदान की जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग की एक प्रति प्रदान करने में विफलता या याचिकाकर्ताओं को समिति द्वारा भरोसा किए गए वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने का अवसर देने में विफलता के परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ, यानी मामले को पूरा करने के लिए एक उचित अवसर का उल्लंघन। इसलिए, तमिलनाडु विधानसभा में विवादित प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए आकस्मिक वेतन और

अन्य लाभ छह याचिकाकर्ताओं को बहाल कर दिए गए हैं। [पारस 42,43) [634-बी "ई)

राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा और अन्य 2007 (1) एससीआर 317:(2007) 3 एस. सी. सी. 184; गुजरात राज्य वित्तीय निगम बनाम लोटस होटल एयर 1983 एससी 848:(1983) 3 एससीसी 379; एयर इंडिया सांविधिक निगम बनाम संयुक्त लेबर यूनियन ए. आई. आर 1997 एस. सी. 645:(1997) 9 एससीसी 377:1996 (9) पूरक। एस. सी. आर. 579 पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सी. बी. जे. आई. एस. पी. ई) 1998 (2) एस. सी. आर. 870:(1998) 4 धारा 626; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 (3)पूरक। एससीआर 587:(2002) 8 एस. सी. सी. 481; सोदन सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति 1989 4 एस. सी. सी. 105; जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2006 (10) पूरक। एससीआर 521:(2006) 11 धारा 1-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2007 (1) एस. सी. आर. 317	संदर्भित	पैरा 9
ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 848	संदर्भित	पैरा 12
1996 (9) पूरकएस. सी. आर. 579	संदर्भित	पैरा 12
1998 (2) एस. सी. आर. 870	संदर्भित	पैरा 18
2002 (3) पूरकएस. सी. आर. 587	संदर्भित	पैरा 22
1989 4 धारा 105	संदर्भित	पैरा 23

2006 (10) पूरक एस. सी. आर. 521 संदर्भित पैरा 40

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 455/2015

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

जयदीप गुप्ता, संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. नितिन, प्रभु रामसुब्रमण्यम, बाबू एम, अनिल कुमार मिश्रा-I, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

शेखर नाफडे, सुब्रमण्यम प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बी. बालाज आई, सुश्री मेहा अग्रवाल, मुथुकिशन, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति चेलमेश्वर, जे. के द्वारा पारित किया गया :-

1. यह छह याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक याचिका है। अनुच्छेद 32 भारत का संविधान। वे तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य हैं जो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा के दिनांक 1 के एक प्रस्ताव द्वारा, छह याचिकाकर्ताओं सहित विधानसभा के उन्नीस सदस्यों को तत्कालीन वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। प्रस्ताव ने विधानसभा की कार्यवाही में कथित रूप से बाधा डालने के लिए उन्नीस सदस्यों को निलंबित कर दिया। इसके बाद, इस बात की जांच करने के लिए एक विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया कि क्या महाबीर सिंह द्वारा हस्ताक्षरित हस्ताक्षर का आचरण डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं किया गया था। 2016.02.12 16:47:07 आई. एस. टी. के सदस्य दिनांकित 19.02.2015 की घटना के दौरान भंग के कारण थेःश्री महाबीर सिंह, कोर्ट मास्टर के डी. एस. सी. का उपयोग श्री ओम प्रकाश शर्मा, ए. आर.-सी. यू. एम.-पी. एस. द्वारा अदालत संख्या 5 दिनांक 12.2.2016 की कार्यवाही को अपलोड करने के लिए किया जा रहा है। विशेषाधिकार समिति ने माना कि छह याचिकाकर्ताओं की कार्रवाई विशेषाधिकार का भंग थी, और छह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की

सिफारिश की। इस तरह की सिफारिश विधानसभा के एक प्रस्ताव दिनांक 31.03.2015 द्वारा की गई थी। इस प्रस्ताव द्वारा से याचिकाकर्ताओं को सदन के अगले सत्र के दस दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा, यह संकल्प लिया गया कि याचिकाकर्ताओं को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए या अन्य लाभ नहीं दिए जाने चाहिए जो निलंबन की अवधि के लिए विधानसभा के सदस्यों के रूप में उन्हें देय हैं।

2. उसी से व्यथित, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुरोध करते हुए तत्काल रिट याचिका दायर कीः-

क) तमिलनाडु विधानसभा में किए गए विवादित प्रस्ताव को असंवैधानिक, अवैध, अमान्य घोषित करते हुए आदेश की एक रिट जारी करें।

ख) आदेश का एक रिट जारी करें और दूसरी अवधि के बाद निलंबन को समाप्त कर दें।

ग) आदेश की एक रिट जारी करें और याचिकाकर्ताओं को कार्यालय और उनके आवासीय परिसर का उपयोग करने की अनुमति दें।

घ) आदेश है एक रिट जारी करें और घर से जुड़े लाभों के अलावा अन्य सभी लाभों को बहाल करें।

ङ) प्रथम प्रतिवादी की फाइल पर याचिकाकर्ताओं को कई दंड देने में तमिलनाडु विधानसभा के दिनांक 19.02.2015 और 31.03.2015 के प्रस्ताव से संबंधित अभिलेखों के लिए एक प्रमाण जारी करें ताकि इसे रद्द किया जा सके।

च) तमिलनाडु विधानसभा के नियम 226 के तहत दूसरे प्रतिवादी द्वारा कार्यवाही शुरू होने से ही याचिकाकर्ता के खिलाफ विशेषाधिकार भंग कार्यवाही घोषित करने वाला आदेश जारी करें। अनुच्छेद 208 भारत के संविधान के नियम 229 के तहत विशेषाधिकार समिति द्वारा की गई बाद की कार्यवाही, जिसमें नियम 229 (डी) दिनांकित 19.02.2015 और 31.03.2015 के तहत सदन का संकल्प शामिल है, अवैध हैं, प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का पालन करने में विफलता, विकृत, तर्कहीन और तमिलनाडु वेतन भुगतान अधिनियम, 1951 के तहत याचिकाकर्ताओं के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

छ) ऐसा अन्य/आगे का आदेश पारित करें जो यह माननीय अदालत वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे। "

3. सभी छह याचिकाकर्ता एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं जिसे डीएमडीके के नाम से जाना जाता है।

4. वर्तमान रिट याचिका की ओर ले जाने वाले बुनियादी तथ्य इस प्रकार हैंः-

19.2.2015 में, याचिकाकर्ताओं ने कथित तौर में सत्र के दौरान अनियंत्रित आचरण का सहारा लिया। जब अध्यक्ष ने मार्शलों को कथित अनियंत्रित आचरण के कारण पहले याचिकाकर्ता को सदन से बेदखल करने का निर्देश दिया, तो शेष याचिकाकर्ता कथित रूप से अध्यक्ष पर हमला करने के लिए अध्यक्ष के आसन तक भाग गए। हालाँकि, उन्हें मार्शलों ने रोक दिया। इसके बाद, अध्यक्ष ने डीएमडीके पार्टी से संबंधित विधानसभा के 19 सदस्यों को तत्काल प्रभाव से शेष सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित करने का आदेश किया।

5. ऐसा निर्णय कथित तौर में तमिलनाडु विधानसभा नियमों के नियम 121 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष द्वारा लिया गया था।

6. अध्यक्ष ने इस विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को उन सदस्यों की पहचान करने के लिए दिनांक 1 की घटना का भी उल्लेख किया जिन्होंने अध्यक्ष और वॉच एंड वार्ड कर्मचारियों पर हमला करने का प्रयास किया था। विशेषाधिकार समिति ने एक जांच के बाद एक निष्कर्ष दर्ज किया कि छह याचिकाकर्ताओं का आचरण सदन के विशेषाधिकारों का भंग था और इसलिए, सदन को सिफारिश की कि में छह याचिकाकर्ताओं को विधानसभा के अगले सत्र के शुरू होने से 10 दिनों के लिए विधानसभा से हटा दिया जाए और यह भी कि उक्त अवधि के दौरान, याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान नहीं किया जाए और अन्य लाभ दिए जाएं जिनके सदन के सदस्य हकदार हैं। इसलिए, रिट याचिका प्रस्तुत हुई।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से विभिन्न प्रस्तुतियाँ की जाती हैं जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः-

(i) याचिकाकर्ताओं को न केवल वर्तमान सत्र के लिए, जिसमें कथित रूप से विशेषाधिकार भंग है, बल्कि अगले सत्र की एक निश्चित अवधि के लिए भी निलंबित करने का निर्णय सदन और अध्यक्ष के अधिकार से बाहर है। अनुच्छेद 194।

((ii) विधानसभा के परिसर के बाहर हुई घटनाएं इस आधार में कार्रवाई करने का आधार नहीं बन सकतीं कि ऐसी घटनाओं के परिणामस्वरूप सदन के विशेषाधिकारों का भंग होता है।

(iii) याचिकाकर्ताओं को कुछ सामग्री (वीडियो रिकॉर्डिंग) की आपूर्ति न करना, जिस पर इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए भरोसा किया गया

था कि याचिकाकर्ता दोषी हैं, एक उचित अवसर से इनकार करने के बराबर है और इसलिए, प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का पालन न करना विधानसभा के दिनांकित प्रस्ताव को दूषित करता है।

(iv) राज्य विधानमंडल और अध्यक्ष के पास विधानसभा में उनकी सदस्यता के आधार पर याचिकाकर्ताओं को आवंटित विधान छात्रावास में कार्यालय और आवासीय परिसर को जब्त करने का अधिकार नहीं है।

8. बहुत हद तक, याचिकाकर्ताओं को तत्काल रिट याचिका की रखरखाव के संबंध में इस अदालत को संतुष्ट करने के लिए कहा गया था क्योंकि इसके तहत एक रिट याचिका के रखरखाव के लिए अनुच्छेद 32, याचिकाकर्ताओं को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि संविधान के भाग III के तहत याचिकाकर्ताओं को गारंटीकृत मूल अधिकार में से एक का उल्लंघन हुआ है।

9. याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया दोहरी है।

(1) कि याचिकाकर्ताओं के मूल अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 (1) (ए), 19 (1) (जी), 14 और अनुच्छेद 21 विवादित प्रस्ताव द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है;

(2) इस मामले में अदालत राजा राम पाल बनाम माननीय लोकसभा अध्यक्ष और अन्य, (2007) 3 एस. सी. सी. 184 में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष की कार्यवाही की संवैधानिकता की जांच की। अनुच्छेद 32 भारत का संविधान। अतः वर्तमान याचिका भी विचारणीय है।

10. हम पहले याचिकाकर्ताओं के दूसरे निवेदन पर विचार करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या इसके तहत एक याचिका है अनुच्छेद 32 अपने सदस्यों के खिलाफ विधायी निकायों द्वारा की गई कार्रवाई की वैधता का निर्धारण इस आधार पर किया जा सकता है कि वे ऐसे आचरण में लिप्त थे जो सदन के विशेषाधिकारों का भंग है, न तो प्रत्यर्थीगण द्वारा कभी उठाया गया था और न ही अदालत ने राजा राम पाल मामले में उस प्रश्न पर विचार किया था। दूसरी ओर, उक्त निर्णय से यह प्रतीत होता है कि यह अदालत केवल इसके तहत दायर रिट याचिकाओं पर ही विचार नहीं कर रहा था। अनुच्छेद 32 लेकिन कुछ हस्तांतरित मामले हालांकि उन मामलों का सटीक विवरण और उन्हें कहाँ से स्थानांतरित किया गया था, निर्णय से उपलब्ध नहीं हैं। हमारी राय में, राजा राम पाल का मामला इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि एक रिट याचिका जैसे कि हाथ में है, के तहत बनाए रखने योग्य है। अनुच्छेद 32. प्रश्न की स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए।

11. अनुच्छेद 32 संविधान का अनुच्छेद संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा इस अदालत में जाने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 जहाँ तक यह वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः-

> "32. (1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम अदालत में जाने के अधिकार की गारंटी है।
>
> (2) उच्चतम अदालत के पास इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट सरशियोरेराई की शक्ति होगी, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध यथास्थिति अधिकार पृच्छा और प्रमाणपत्र की प्रकृति के रिट शामिल हैं, जो भी उचित हो।"

12. अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के विपरीत अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए और "किसी अन्य उद्देश्य" के लिए रिट जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र केवल संविधान के भाग III के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन तक ही सीमित है। इस अदालत द्वारा कई मामलों में इस भेद को अच्छी तरह से मान्यता दी गई है। (देखें, गुजरात राज्य वित्तीय निगम बनाम लोटस होटल,ए. आई. आर 1983 एस. सी 848:(1983) 3 एससीसी 379;एयर इंडिया सांविधिक निगम। बनाम संयुक्त श्रम संघ , ए. आई. आर 1997 एस. सी. 645,680: (1997) 9 एस. सी. सी. 377) इसलिए, वर्तमान आदेश को बनाए रखने के लिए, इस प्रश्न की जांच की जानी चाहिए कि क्या आदेशकर्ताओं के मूल अधिकार का कोई भंग हुआ है।

13. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि विवादित कार्रवाई याचिकाकर्ताओं के बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) और उनके तहत गारंटीकृत व्यवसाय को जारी रखने का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 (1)(छ)। याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि याचिकाकर्ताओं के कथित अनियंत्रित आचरण और सजा देने की जांच की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों की आवश्यकता का कथित रूप से पालन न करना उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 यह भी तर्क दिया जाता है कि जहां तक यह याचिकाकर्ताओं को उनके वेतन और सदन की उनकी सदस्यता से जुड़ी अन्य सुविधाओं से वंचित करता है (हालांकि एक सीमित अवधि के लिए), यह उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 संविधान से।

14. हम याचिकाकर्ताओं के इस दावे की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आक्षेपित कार्रवाई द्वारा अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत उनके मूल अधिकार और

(छ) उल्लंघन किया जाता है।

15. यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि मूल अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 ये केवल इस देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अन्य मूल अधिकार इस देश के कानूनों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं। छह स्वतंत्रताएँ जिनके अंतर्गत गिनाई गई हैं अनुच्छेद 19 संविधान के सभी नागरिकों में उनकी नागरिकता के आधार पर, आगे कुछ भी करने की आवश्यकता के बिना।

16. इस संदर्भ में दो प्रश्नों की जांच करने की आवश्यकता है; (i) जब राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, तो वह सदस्य है जो निम्नलिखित के तहत बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 19 (1) (ए)? ((ii) क्या उस विधायी निकाय या किसी अन्य प्राधिकरण की कोई कार्रवाई, जो किसी कानून के अनुसार कार्य करती है, किसी सदस्य को अस्थायी रूप से या अन्यथा विधायी निकाय की कार्यवाही में भाग लेने से अक्षम करती है, के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करने के बराबर है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) ऐसे विधायक का?

17. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों की गहन जांच की आवश्यकता है। अनुच्छेद 105 और 194 संदर्भ

> "अनुच्छेद 105 (1) इस संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन, संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी।
>
> (2) संसद का कोई भी सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में अपने द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के

संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके अधिकार के तहत किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में ऐसा उत्तरदायी नहीं होगा।

अनुच्छेद 194 (1) इस संविधान के प्रावधानों और विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता होगी।

(2) किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य विधानमंडल या उसकी किसी समिति में अपने द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे विधानमंडल के किसी सदन द्वारा या उसके अधिकार के तहत किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में ऐसा उत्तरदायी नहीं होगा। संसद या राज्य विधानमंडल ऐसे विधायी निकायों या उनकी किसी समिति में "कही गई किसी भी बात के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा में प्रासंगिक हैं।"

ये दोनों अनुच्छेद क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित हैं। वे अन्य बातों के साथ साथ साथ घोषणा करते हैं कि उक्त विधायी निकायों में "बोलने की स्वतंत्रता होगी।" अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) आगे घोषणा करते हैं कि अनुच्छेद के दोनों प्रासंगिक भागों में से कोई भी सदस्य नहीं है।

18. इन दो अनुच्छेदों की योजना से यह स्पष्ट है कि विधायी निकायों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक घोषणा ऐसे विधायी निकायों के सदस्यों पक्ष में एक संवैधानिक अधिकार पैदा करती है। इस तरह की स्वतंत्रता की उत्पत्ति हाउस ऑफ कॉमन्स

> "(पी. वी. नरसिंह राव बनाम राज्य (सी. बी. आई./एस. पी. ई.)) (1998) 4 एस. सी. सी. 626
>
> 110. हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अलग हैं, को "क्राउन के विशेषाधिकारों, सामान्य अदालतों के अधिकार और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विशेष अधिकारों के खिलाफ सदन और उसके व्यक्तिगत सदस्यों के मूल अधिकार के योग" के रूप में परिभाषित किया गया था।
>
> हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल थी, जिसका दावा 1554 में किया गया था। इसमें सदन का अपने निकाय की उचित संरचना, अपनी कार्यवाहियों को विनियमित करने का अधिकार, अजनबियों को बाहर करने का अधिकार, इसकी बहसों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने का अधिकार और जुर्माने, कारावास और निष्कासन द्वारा अपने विशेषाधिकारों के पालन को लागू करने का अधिकार शामिल था। के विशेषाधिकारों में हुई थी।"

इस तरह के अधिकार के आयाम और रूप-रेखाएं भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के आयामों और रूप-रेखाओं से बहुत अलग हैं। अनुच्छेद 19 (1) (ए)। (i) जबकि बोलने के मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 (1) (ए) प्रत्येक नागरिक में अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विचार की गई अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता विधायी निकायों के सदस्यों को छोड़कर प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है, हालांकि, संविधान के अन्य प्रावधानों के संचालन के आधार पर, इस देश की नागरिकता विधायी निकायों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक शर्त है; विधायी निकायों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार नागरिकता के लिए अंतर्निहित नहीं है, लेकिन उन निकायों में निर्वाचित होकर प्राप्त किया जाना है।

(ii) अनुच्छेद 105 और 194 में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल उन निकायों की सदस्यता के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध है। किसी भी नागरिक को उसकी नागरिकता और इसलिए मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) अपरिहार्य है।

(iii) अनुच्छेद 105 और 194 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार विधायी निकायों के परिसरों तक सीमित है। जबकि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अनुच्छेद 19 (1) (ए) इसकी ऐसी कोई भौगोलिक सीमाएँ नहीं हैं।

(iv) जबकि बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 (1) (ए) कानून द्वारा लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंध के अधीन है जो अनुच्छेद 19 (1) (2) के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप है, अनुच्छेद 105 या 194 के तहत एक विधायक को उपलब्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी ऐसी सीमा के अधीन नहीं है जो कानून द्वारा लगाई जा सकती है। तथापि, ऐसी स्वतंत्रता, जैसा कि इन दो अनुच्छेदों के प्रारंभिक खंडों से प्रतीत होता है, "संविधान के अन्य प्रावधानों और विधायी निकायों की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों" के अधीन है। ऐसी स्वतंत्रता पर एक स्पष्ट सीमा मिली है। [पीवी नरसिम्हा राव राव मामला (1998) 4 एससीसी 626] 27 खंड (1) अपने सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता सुरक्षित करता है। उक्त स्वतंत्रता "इस संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को

विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है" '.शब्द "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन" का अर्थ संविधान के उन प्रावधानों के अधीन माना गया है जो संसद की प्रक्रिया को विनियमित करते हैं, अर्थात, अनुच्छेद 118 और 12 (देखें: एम.एस.एम.शर्मा, .. श्री कृष्ण सिन्हा एससीआर पृष्ठ 856) और 1964 के विशेष संदर्भ संख्या 1 को पृष्ठ 441 पर विधायी विशेषाधिकार मामले एससीआर के रूप में भी जाना जाता है) अनुच्छेद 105 (।) के तहत संसद सदस्यों को मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से कहीं अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 19(।)(ए) के तहत गारंटी दी गई है क्योंकि अनुच्छेद 105(।) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) में निहित सीमाओं के अधीन नहीं है।

109. अनुच्छेद 105 के उप-अनुच्छेद (।) के कारण, संसद सदस्यों को केवल संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन भाषण की स्वतंत्रता का आनंद मिलता है। यह स्पष्ट प्रावधान संसद में भाषण की स्वतंत्रता के लिए बनाया गया है -अनुच्छेद 105 के अनुच्छेद (।) से पता चलता है कि यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से स्वतंत्र है और उसमें निहित अपवादों द्वारा अप्रतिबंधित है। यह इस तथ्य की मान्यता है कि यदि सदस्यों को संसद के विचार-विमर्श में अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करना है तो उन्हें संसद में अपनी बात कहने के मामले में सभी बाधाओं से मुक्त होने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 105 का उप-अनुच्छेद (2) उप-अनुच्छेद (।) में जो कहा गया है उसे नकारात्मक रूप से सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। दोनों उप-लेखों को उनकी सामग्री निर्धारित करने के लिए एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। उप-अनुच्छेद (2) के पहले भाग के कारण कोई भी सदस्य संसद में कही गई बातों के लिए अदालत या किसी ऐसे ही न्यायाधिकरण में जवाब देने योग्य नहीं है। यह फिर से इस

तथ्य की मान्यता है कि एक सदस्य को अपने खिलाफ कार्यवाही के डर से संसद में जो सही लगता है उसे कहने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 194(2) के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि उप-अनुच्छेद (I) में उल्लिखित भाषण की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी से अलग थी। अनुच्छेद 19(आई)(ए) के तहत और अनुच्छेद 19(2) द्वारा विचार किए गए किसी भी कानून द्वारा किसी भी तरह से कटौती नहीं की जा सकती। ऐसी स्वतंत्रता पर एक स्पष्ट सीमा अनुच्छेद 121 और 211 के तहत पाई जाती है, जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में विधायी निकायों में किसी भी चर्चा को स्पष्ट शब्दों में प्रतिबंधित करती है। इसके अलावा, अनुच्छेद-118 और 208 विधायी निकायों को उनकी प्रक्रिया और उनके व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करते हैं;

इसलिए, एक नागरिक में निहित और विधायी निकाय के एक सदस्य के लिए उपलब्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा और आयाम पूरी तरह से अलग हैं। किसी भी नागरिक को विधायी निकाय में प्रवेश करने और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि वह पहली बार कानून के अनुसार ऐसे विधायी निकाय के लिए निर्वाचित न हो जाए। विधायी निकाय की सदस्यता समाप्त होने के बाद कोई भी विधायक अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विचार की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद लेना जारी नहीं रखेगा।]

19. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब किसी विधायक को ऐसे विधायक के खिलाफ की गई कुछ कार्यवाही के आधार पर सदस्यता की मुद्रा के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका जाता है, तो उस सदन में विधायक के अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार में कटौती होगी, जिसका वह सदस्य है। लेकिन इस तरह की कटौती को संविधान द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी गई है कि ऐसा अधिकार संविधान के अन्य प्रावधानों, विधायी निकायों की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन किया गया है।

20. इसलिए, हमारी राय है कि हालांकि तमिलनाडु की विधानसभा में याचिकाकर्ताओं के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती की गई है, जिसके वे हकदार हैं। अनुच्छेद 194 विवादित आदेश के आधार पर, उक्त विवादित आदेश, इस संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है जिसकी गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 (1) (ए)।

21. हमारा विचार इस अदालत की राय से पूरी तरह से समर्थित है। अनुच्छेद 143 भारत के संविधान, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745:

> "31. यह देखा जाएगा कि अनुच्छेद 194 के पहले तीन भौतिक खंड तीन अलग-अलग विषयों से संबंधित हैं। खंड (I) यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की विधायिका में बोलने की स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों और विधायिका की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है। इस खंड की व्याख्या करते समय, इस बात पर जोर देना जरूरी है कि संविधान के जिन प्रावधानों के तहत विधायकों को बोलने की आजादी दी गई है, वे संविधान के सामान्य प्रावधान नहीं हैं, बल्कि वे केवल ऐसे प्रावधान हैं जो विधायिका की प्रक्रिया के विनियमन से संबंधित हैं। नियम और स्थायी आदेश विधायिका की प्रक्रिया को विनियमित कर सकते हैं और संविधान के कुछ प्रावधानों का तात्पर्य इसे विनियमित करना भी हो

सकता है; ये हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 208 और 211 विशेषण खंड "विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करना" "संविधान के प्रावधानों" और "नियमों और स्थायी आदेशों" से संबंधित दोनों पूर्ववर्ती खंडों को नियंत्रित करता है। इसलिए, खंड (।) विधायकों को विशेष रूप से इसके पहले भाग द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इस खंड को केवल संविधान के निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन रखकर, संविधान-निर्माता यह स्पष्ट करना चाहते थे कि उन्होंने विधायकों को अनुच्छेद 19(।)(a) से अलग और एक अर्थ में स्वतंत्र रूप से बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक समझा। हालाँकि, विधायक अनुच्छेद 19(जे)(ए) में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा करने के हकदार थे, अनुच्छेद 194(1) द्वारा अपनाए गए तरीके से विशेष रूप से उसी अधिकार को प्रदान करना अनावश्यक होता; और ऐसा ही होगा यह निष्कर्ष निकालना वैध है कि अनुच्छेद 19(।)(ए) संविधान के उन प्रावधानों में से एक नहीं है जो अनुच्छेद 194 के खंड ओ के पहले भाग को नियंत्रित करता है।

32. विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद, खंड (2) इस तथ्य पर जोर देता है कि उक्त स्वतंत्रता का उद्देश्य पूर्ण और निरंकुश होना है। विधायकों को विधायिका या उसकी किसी समिति में दिए जाने वाले वोटों के संबंध में इसी तरह की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। दूसरे शब्दों में, भले ही कोई विधायक अनुच्छेद 211 का उल्लंघन करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, फिर भी वह किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई

के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसी प्रकार, यदि विधायक पर अपने भाषण या वोट के माध्यम से विधान सभा में संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है। वह किसी भी अदालत में उक्त उल्लंघन के लिए जवाबदेह नहीं होगा। यदि विवादित भाषण मानहानि के समान है या कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत कार्रवाई योग्य या अभियोग योग्य हो जाता है, तो इस खंड द्वारा उसे किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई से छूट प्रदान की गई है। वह ऐसे भाषण के लिए सदन के प्रति जवाबदेह हो सकता है और अध्यक्ष इसके संबंध में उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है; लेकिन वह दूसरी बात है. यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने विधायी कक्षों के भीतर बहस में पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता को इतना महत्व दिया कि उन्होंने विधायकों को विधायी कक्षों में उनके भाषणों के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई से पूर्ण छूट प्रदान करना आवश्यक समझा। खंड (2) द्वारा निर्धारित व्यापक शर्तें। इस प्रकार, खंड (1) विधानमंडल के भीतर विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और खंड (2) यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता वस्तुतः पूर्ण और निरंकुश है। "]

राजा राम पाल श्लोक माननीय अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य, (2007) 3 एससीसी 184

शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ-आम तौर पर

"130. पंडित शर्मा(1) का संज्ञान लेते हुए इसे यू.पी. में दोहराया गया। असेंबली केस (1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1) कि अनुच्छेद 194 का खंड (1) निस्संदेह संविधान के प्रावधानों के अधीन उक्त खंड का एक

महत्वपूर्ण प्रावधान बनाता है; लेकिन संदर्भ में। वे प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(ए) में नहीं लिये जा सकते क्योंकि बाद वाला अनुच्छेद विधायिका की प्रक्रिया को विनियमित करने का इरादा नहीं रखता है और यह केवल ऐसा ही है संविधान के प्रावधान जो विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करते हैं जो अनुच्छेद 194(1) के पहले भाग में शामिल हैं। और पी. वी. नरसिम्हा राव श्लोक राज्य (सीबीआई/एसपीई), (1998) 4 एससीसी 626 (एफ/एन 4 सुप्रा देखें) में संविधान पीठ द्वारा इस दृष्टिकोण को दोहराया गया था।

22. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 'व्यवसाय' शब्द के तहत अनुच्छेद 19 (1) (छ) यह सबसे व्यापक आयाम का है, और इसमें विधानसभा के सदस्य का कार्यालय शामिल है।

इस प्रस्ताव के लिए, वकील टी.एम.ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी481 के पैराग्राफ 239 पर भरोसा करते हैं।

"239. ..... अनुच्छेद 19 उपखंड (ए) से (जी) में निर्दिष्ट सभी नागरिक अधिकारों को प्रदान करता है। के खंड (1) के उपखंड (छ) में निहित मूल अधिकार अनुच्छेद 19 संविधान के अनुसार किसी भी पेशे का अभ्यास करना या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को जारी रखना है। हम यहां प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक आदि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के अधिकार से चिंतित हैं। शिक्षा अनिवार्य रूप से एक धर्मार्थ उद्देश्य है और मेरे विचार में शिक्षा प्रदान करना समुदाय के लिए एक प्रकार की सेवा है, इसलिए, इसे "व्यापार

या व्यवसाय" के तहत नहीं लाया जा सकता है और न ही इसे "पेशे" के तहत लाया जा सकता है। फिर भी, माननीय मुख्य न्यायाधीशाधीश के निर्णय में स्पष्ट किए गए "व्यवसाय" शब्द के अर्थ की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए, एक नागरिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके जो सेवा प्रदान करना चाहता है, उसे "व्यवसाय" में पढ़ा जा सकता है। यह अधिकार, उपखंड (छ) में उल्लिखित अन्य अधिकारों की तरह, के खंड (6) द्वारा नियंत्रित किया जाता है अनुच्छेद 19. खंड (6) का अधिदेश यह है कि उपखंड (छ) की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक कि वह राज्य को आम जनता के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाली कोई कानून बनाने से रोकती है या रोकती है और विशेष रूप से, उक्त उपखंड की कोई भी चीज किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह राज्य से संबंधित है या राज्य को इससे संबंधित कोई कानून बनाने से रोकती हैः(i) किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता; या (ii) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगम द्वारा किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को चलाना, चाहे वह नागरिकों के पूर्ण या आंशिक बहिष्कार के लिए हो या अन्यथा। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के नागरिक के अधिकार को अनुच्छेद (1) के उपखंड (छ) में आने वाले "व्यवसाय" में पढ़ा जा सकता है। अनुच्छेद 19 जो उसके खंड (6) के अनुशासन के अधीन होगा। ”

हमारी राय में यह किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के इस दावे का समर्थन नहीं करता है कि विवादित कार्रवाई उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19 (1) (छ)। प्रस्तुतिकरण की शुद्धता तय करने के लिए, हमें अभिव्यक्ति व्यवसाय के व्युत्पत्ति संबंधी और प्रासंगिक अर्थ दोनों की जांच करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 19 (1) (छ)।

23. इस अदालत में सोदन सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति , 1989 4 एस. सी. सी. 105 को प्रश्न की जांच करने का अवसर मिला और आयोजित किया गया।

> "गारंटी के तहत अनुच्छेद 19 (1) (छ) यह किसी भी पेशे का अभ्यास करने, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने के लिए है। ''पेशा' से किसी व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत और विशेष योग्यता, प्रशिक्षण या कौशल के आधार पर चलाया जाने वाला व्यवसाय अभिप्रेत है। 'व्यवसाय' शब्द का व्यापक अर्थ है जैसे कि कोई भी नियमित काम, पेशा, नौकरी, प्रमुख गतिविधि, रोजगार, व्यवसाय या एक ऐसा आह्वान जिसमें कोई व्यक्ति लगा हुआ है।
>
> 'अपने व्यापक अर्थों में 'व्यापार' में कोई भी सौदा या बिक्री, कोई भी व्यवसाय या व्यवसाय जो निर्वाह या लाभ के लिए किया जाता है, शामिल है, यह वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री का एक कार्य है। इसमें लाभ की दृष्टि से किया जाने वाला कोई भी व्यवसाय शामिल हो सकता है, चाहे वह हाथ से हो या व्यापारिक। ''व्यवसाय' एक बहुत व्यापक शब्द है और इसमें कुछ भी शामिल होगा जो लाभ के उद्देश्य से एक व्यक्ति का समय, ध्यान और श्रम लेता है। इसमें

अपने रूप में व्यापार, पेशा, औद्योगिक और वाणिज्यिक संचालन, वस्तुओं की खरीद और बिक्री शामिल हो सकती है, और इसमें कुछ भी शामिल होगा जो आनंद से अलग व्यवसाय है। चार समान और अतिव्यापी शब्दों का उपयोग करमें का उद्देश्य अनुच्छेद 19 (1) (छ) गारंटीकृत अधिकार को यथासंभव व्यापक बनाना है ताकि उन सभी मार्गों और तरीकों को शामिल किया जा सके जिनके माध्यम द्वारा एक व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सके। संक्षेप में यह गारंटी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए की जाने वाली किसी भी गतिविधि को अपने दायरे में लेती है। गतिविधि निश्चित रूप में वैध होनी चाहिए और जुआ, महिलाओं की तस्करी और इस तरह की असामाजिक नहीं होनी चाहिए।" (पैराग्राफ 28)

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि अधिकार का सार एक ऐसी गतिविधि को आगे बढ़ाना है जो एक नागरिक को आजीविका कमाने में सक्षम बनाता है।

24. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

"अनुच्छेद 19 (1) (छ) इसमें चार अभिव्यक्तियाँ प्रयोग में लाई गई हैं-पेशा, व्यवसाय, व्यापार और व्यवसाय। ... अनुच्छेद 19 (1) (छ) चार अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है ताकि एक नागरिक की उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जा सके जिनके संबंध में आय या लाभ उत्पन्न होता है, और जिन्हें परिणामस्वरूप निम्नलिखित के तहत विनियमित किया जा सकता है - अनुच्छेद 19 (1) (6)" (पैराग्राफ 20)

व्यवसाय' शब्द का विस्तार आर्थिक द्वारा सीमित है। आजीविका सृजन की अनिवार्यता। इसलिए, इसके तहत विचार की गई सभी गतिविधियाँ अनुच्छेद 19 (1) (छ) अनिवार्य रूप से ऐसी गतिविधियाँ हैं जो एक नागरिक को आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में सक्षम बनाती हैं। का प्राथमिक उद्देश्य और जोर अनुच्छेद 19 (1) (छ) आर्थिक लाभ उत्पन्न करना और अपने श्रम के फल की रक्षा करना है।

25. संविधान द्वारा स्थापित विधायी निकायों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। इसलिए, तार्किक रूप से इस दलील को प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल होगा कि विधायी निकायों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो सकता है। अनुच्छेद 19 (1) (छ)। किसी भी नागरिक को विधानसभा का सदस्य बनने या पूरे जीवन के लिए बने रहने का अधिकार नहीं है। सदस्यता का अधिग्रहण मतदाताओं के निर्णय पर निर्भर करता है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जाता है। चुनाव के बाद भी कार्यकाल सीमित है। मौलिक अधिकार दूसरों की इच्छा पर अस्तित्व में नहीं आते हैं। वे नागरिकों में निहित हैं और केवल कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन किसी भी कार्रवाई या दूसरों की मंजूरी की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने में सक्षम हैं। विधानसभा का कोई भी सदस्य तब तक पद धारण करता है जब तक कि ऐसी सदस्यता कानून द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया द्वारा समाप्त नहीं हो जाती। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय से शुरू होने वाले संवैधानिक कार्यालय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हैं और उनकी स्थापना की जाती है। इनमें से प्रत्येक कार्यालय इस देश के लोगों के लिए संविधान की प्रस्तावना में बताए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव बनाने के लिए स्थापित बड़ी मशीनरी का एक घटक है। ऐसे पदों के धारण के लिए आकस्मिक कोई भी मौद्रिक लाभ केवल पद धारक द्वारा राष्ट्र की सेवा में खर्च किए गए

समय और शक्ति की भरपाई के लिए है। यही कारण है कि विधानसभा के किसी सदस्य को आजीविका कमाने के उद्देश्य से पद धारण करने वाला नहीं माना जा सकता है।

26. के तहत एक 'व्यवसाय' के आर्थिक आधार अनुच्छेद 19 (1)(छ) और एक विधायक के कार्यालय से बहने वाले आर्थिक लाभों की क्षणिक और आनुषंगिक प्रकृति को अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए कि विधानसभा के किसी सदस्य को इसके तहत 'व्यवसाय' करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। अनुच्छेद 19 (1) (छ)। इसलिए हम इस तर्क को खारिज करते हैं कि इस मुद्दे में याचिकाकर्ताओं के अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 19 (1) (छ)।

27. मौलिक अधिकार के उल्लंघन के प्रश्न पर आते हुए अनुच्छेद 21 याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि विवादित कार्रवाई के आधार पर याचिकाकर्ताओं को निलंबन की अवधि के दौरान विधानसभा की सदस्यता के लिए उनके वेतन और अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया है और इसलिए, यह अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

28. हमारे सामने न तो कोई स्पष्ट प्राधिकार उद्धृत किया गया है और न ही यह प्रदर्शित करने के लिए कोई ठोस प्रस्तुतिकरण किया गया है कि केवल एक दावे के अलावा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। दूसरी ओर, राजा राम पाल मामले में यह तर्क दिया गया था कि किसी सदस्य के सदन से निष्कासन के परिणामस्वरूप इस तरह की गड़बड़ी के परिणामस्वरूप संसद के सदस्यों के 'संवैधानिक अधिकारों' का उल्लंघन होगा (पैरा151 याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि वेतन और जिस अवधि के लिए वे सदन में सेवा करते हैं, उससे संबंधित संविधान के प्रावधान सदस्यों के संवैधानिक अधिकार हैं और उनकी सदस्यता को समाप्त करके निष्कासन की शक्ति इन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।)और इसलिए निष्कासन बुरा होगा।

29. न्यायालय द्वारा प्रस्तुतीकरण को निरस्त करते हुये अभिनिर्धारित किया :

> "... वर्तमान मामले में जहां एक वैध निष्कासन है, सदस्य यह दावा नहीं कर सकते हैं कि सदन के वेतन और अवधि से संबंधित प्रावधान सदस्यों के लिए ऐसे अधिकार पैदा करते हैं जो सदन के निष्कासन की शक्ति पर सर्वोच्च होंगे। "

दूसरे शब्दों में, इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि वेतन और अन्य लाभ जिनके लिए एक विधायी निकाय के सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान हकदार हैं, पूरी तरह से सदस्यता के लिए आकस्मिक हैं और वे एक स्वतंत्र और अक्षम्य संवैधानिक अधिकार भी नहीं बनाते हैं। इसलिए, यह सवाल ही नहीं उठता कि ऐसे लाभों से वंचित करना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार से वंचित करना है।

30. अब हम याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हैं कि विवादित कार्यवाही याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 14. याचिकाकर्ताओं में अनुसार, उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्यायाधीश में सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए की गई है। यह तय कानून है कि विधायी निकायों द्वारा सदस्यों के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा सीमित है। हालाँकि, यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का पालन न करना उन सीमित आधारों में से एक है जिन पर उचित मामलों में विधायी निकायों की आंतरिक कार्यवाही के खिलाफ न्यायाधीशिक पुनर्विलोकन की जा सकती है। (जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य,(2006) 11 एससीसी 1."हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि न्यायाधीशिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र चाहे कितना भी सीमित क्यों न हो, प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का पालन करना होगा और उनकी अभाव

में आदेश दूषित हो जाएंगे। " -- पैरा 14.अनुच्छेद 671 और 672 भी देखें। राजा राम पाल बनाम माननी' , लोकसभा और अन्य, (2007) 3 एस. सी. सी. 184।)

31. अब हम याचिकाकर्ताओं के इस दावे की जांच करते हैं कि प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। अनाड़ी रूप से तैयार की गई रिट याचिका के मुख्य भाग से याचिकाकर्ताओं की सटीक तथ्यात्मक शिकायत को निकालना मुश्किल है (काउंटर बेहतर नहीं है, हालांकि बहुत लंबा है)। हम जिस सार का पता लगा सकते हैं वह यह है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा भरोसा किए गए वीडियोग्राफ की एक प्रति उन्हें प्रदान नहीं की गई थी। रिट याचिका के अनुच्छेद 3.12 से 3.18 तक पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि विशेषाधिकार समिति और याचिकाकर्ताओं के बीच काफी पत्राचार हुआ था। विशेषाधिकार समिति ने छह याचिकाकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकी, हालांकि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि शुरू में निलंबित किए गए 19 विधायकों में से छह याचिकाकर्ताओं को किस आधार पर चुना गया था। प्रत्येक याचिकाकर्ता ने अलग-अलग पत्रों द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, विशेषाधिकार समिति ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में विशेषाधिकार का भंग हुआ था, और छह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। इस अनुशंसित कार्रवाई ने विधानसभा प्रस्ताव दिनांक 31.03.2015 का आधार बनाया।

32. हमारे समक्ष यह तर्क दिया जाता है कि विशेषाधिकार समिति ने इस निष्कर्ष में पहुंचने के लिए कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग में भरोसा किया कि याचिकाकर्ता ऐसे आचरण के दोषी हैं जो सदन के विशेषाधिकारों का भंग है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग की एक प्रति याचिकाकर्ताओं को प्रदान नहीं की गई थी। (पर तथ्यों के पैरा 3.12 में अस्पष्ट संदर्भ के अलावा, याचिकाकर्ता इसे तत्काल रिट में एक आधार (आधार संख्या 38) के रूप में लेते हैं। पैरा 3.12 में लिखा है, "याचिकाकर्ता नंबर 1 ने विशेषाधिकार समिति से

स्पष्टीकरण मांगने वाले पत्र पर अपना जवाब भेजा। याचिकाकर्ता को पत्र केवल 23.2.2014 पर प्राप्त हुआ था, लेकिन 27.2.2015 पर या उससे पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने घटना की वीडियो क्लिपिंग के तुरंत बाद स्पष्टीकरण देने की अनुमति मांगी। याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा विधानसभा के सचिव को दिनांक 27.2.2015 पर भेजे गए पत्र की एक सही प्रति इसके साथ संलग्न की गई है और इसे अनुलग्नक-P7 के रूप में चिह्नित किया गया है। " ग्राउंड नंबर 38 में लिखा है, "प्रत्यर्थीगण क्रमांक कभी भी कथित वीडियोग्राफी की प्रति नहीं दी। "इस एक वाक्य के अलावा, याचिकाकर्ता आगे कोई विवरण नहीं देते हैं)

33. रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ने विशेषाधिकार समिति के विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। (दिनांक 20.02.2015 की विशेषाधिकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि दिनांक 19.2.2015 की घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने से विशेषाधिकार समिति के सदस्यों द्वारा दिमाग को लागू करने का आधार बना।

[विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष] -

"वीडियो क्लिपिंग देख क्रमांक के बाद प्रत्येक सदस्य अपनी राय दर्ज कर सकता है"

"मैं समिति के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आपकी राय दर्ज करने से पहले मैं सदन में 19.02.2015 पर ली गई वीडियो रिकॉर्डिंग देखने का अनुरोध करता हूं। मैं आपसे वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद अपनी राय दर्ज करने का अनुरोध करता हूं "

"यह बैठक वीडियो रिकॉर्ड देखने के बाद उन सभी सदस्यों का पता लगाने के लिए आयोजित की जाती है जो वीडियो रिकॉर्ड देखने के बाद अनुचित कृत्यों में शामिल हैं और यह तय करने के लिए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। "

"आइए पहले वीडियो फुटेज देखें और फिर समिति एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी "[श्री जे. सी. डी. प्रभाकर, सदस्य, विशेषाधिकार समिति]-"

यहां आपने सदस्यों को वीडियो रिकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से दिखाई। "यह सदस्य फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में दर्शाई गई घटनाओं पर चर्चा करता है और छह याचिकाकर्ताओं को ऐसे कार्यों में लिप्त होने के रूप में व्यक्त करता है जो विशेषाधिकार का भंग है।

[श्रीमती एस. विजयधरानी, सदस्य, विशेषाधिकार समिति]-

"वी. सी. चंदिरा कुमार द्वारा गुस्से की अभिव्यक्ति वीडियो क्लिपिंग से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। "

यह सदस्य तब अपनी राय दर्ज करने के लिए आगे बढ़ता है कि याचिकाकर्ताओं में से एक हाथापाई में शामिल नहीं है।

[श्री ए. लासार, सदस्य, विशेषाधिकार समिति] -

"हमने उस घटना के संबंध में वीडियो फुटेज देखा है। इसलिए हम यहां इस तरह से बोल रहे हैं कि इस संबंध में कि आगे इस तरह की घटनाएं न हों"

[श्री के. एस. एन. वेणुगोपाल, सदस्य, विशेषाधिकार समिति]-

" मैंने अपनी सीट से देखा कि कल आई. डी. 1 पर हुई घटना बहुत क्रूर थी। हम वीडियो में फिर से देख सकते हैं। ... मेरी राय है कि इस भयानक कृत्य में शामिल 6 सदस्यों श्री अलगापुरम आर. मोहन राह, श्री वी. सी. चंद्र कुमार, श्री सी. एच. शेखर, श्री के. दिनाकरन, श्री एस. आर. पार्थिबन, श्री एल. वेंकटेशन को इस तरह से एक साल के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए कि वे सदन में न आएं। "

[श्री चैलेंजर दोराई @दोराइसामी] -

"हमने घटना को वीडियो फुटेज में भी देखा है। ..."

[सदन के माननीय नेता] -

"यहाँ उपस्थित सभी सदस्य विधानसभा में शामिल हैं। इसलिए आपने घटनाओं को अपनी आंखों से होते देखा होगा, न केवल वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई थी। चूंकि उनमें से कुछ भूल गए होंगे कि केवल वीडियो रिकॉर्डिंग को फिर से दिखाया गया था "

डी. एम. डी. के. पार्टी से संबंधित उन्नीस सदस्यों के कथित रूप से शामिल होने की घटना की रिकॉर्डिंग, विशेषाधिकार समिति इस निष्कर्ष में पहुंची कि छह याचिकाकर्ताओं का आचरण सदन के विशेषाधिकार का भंग है। विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही में बार-बार वीडियो रिकॉर्डिंग का संदर्भ दिया जाता है।

34. एफआइआर नं. क्र. नं. तमिलनाडु विधानसभा में तैनात एक विशेष उप-निरीक्षक श्री विजयन द्वारा प्राथमिकी दिनांकित 20.2.2015, जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल किए गए साक्ष्य में से एक है, "छह याचिकाकर्ताओं में से केवल दो के नाम (याचिकाकर्ता क्रमांक ख्या 4 और याचिकाकर्ता क्रमांक ख्या 5) का उल्लेख करता है। अपनी प्राथमिकी आर. में श्री विजयन एक सर्वव्यापी कथन देते हैं कि डी. एम. डी. के. पार्टी के सभी सदस्य अनियंत्रित तरीके से अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंचे और उन्हें इस कारण से सदन से बाहर भेजने का आदेश दिया गया। फिर वह विशेष रूप से यह बताक्रमांक के लिए आगे बढ़ता है कि दो आरोपीों (याचिकाकर्ता संख्या 4 और याचिकाकर्ता संख्या 5) क्रमांक उस पर हमला किया।

35. इस संदर्भ में प्रश्न यह हैःविशेषाधिकार समिति ने छह सदस्यों की पहचान सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के रूप में कैसे की?विशेषाधिकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त से यह स्पष्ट है कि समिति द्वारा सभी छह याचिकाकर्ताओं की पहचान करने और विशेषाधिकार भंग लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एकमात्र सामग्री वीडियो रिकॉर्डिंग थी।

36. याचिकाकर्ताओं का मामला, हालांकि सुंदर रूप से अनुरोध नहीं किया गया है, यह है कि उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग देखने या वीडियो की सामग्री और प्रामाणिकता पर टिप्पणी करने का अवसर नहीं दिया गया है। रिट याचिका में उठाए गए कानून के प्रश्नों में याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि "क्या वीडियो सामग्री पर टिप्पणी करने के अधिकार से इनकार करना प्राकृतिक न्याय का भंग होगा?" याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए आधारों में, वे रिट की अनुमति देने के लिए प्रार्थना करते हैं "क्योंकि वीडियोग्राफी की प्रामाणिकता के प्रश्न पर और इसे सेवा में कितनी दूर तक दबाया जा सकता है, इसके अलावा, प्रत्यर्थीगण ने कभी भी याचिकाकर्ता को कथित वीडियोग्राफी की प्रति नहीं दी। "

37. यह प्रत्यर्थीगण का मामला है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल वीडियो क्लिपिंग पर आधारित नहीं है। जवाबी शपथ पत्र के पैरा 76 में यह कहा गया है कि आई. डी. 1 पर हिंसक घटनाओं को विशेषाधिकार समिति सहित सदन के सभी सदस्यों द्वारा देखा गया था और इस प्रकार वीडियोग्राफ सजा देने का एकमात्र आधार नहीं है। (यहां तक कि जवाबी शपथ पत्र के पैरा 70 में भी, प्रत्यर्थीगण का कहना है कि चूंकि 19.2.2015 पर घटना विधानसभा कक्ष के अंदर हुई थी, इसलिए अध्यक्ष और अन्य उपस्थित सदस्य घटना के चश्मदीद गवाह थे, और घटना की प्रकृति के बारे में विशेषाधिकार समिति के सदस्यों सहित सदन के सभी सदस्यों को पता था। 15 एफ/देखें। एन 12.)

38. विशेषाधिकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वीडियो-रिकॉर्डिंग ने उन निष्कर्षों पर पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो विशेषाधिकार समिति ने किए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग विशेष रूप से विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को दिखाई गई थी "क्योंकि उनमें से कुछ भूल गए होंगे कि केवल वीडियो रिकॉर्डिंग को फिर से दिखाया गया था"। (देखे एफ/एन 12)

गलत अनुवाद के लिए कुछ छूट देना-उक्त वाक्य केवल यह इंगित करता है कि समिति केवल समिति के सदस्यों की स्मृति पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। दोहराव के जोखिम पर, हम दोहराते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग ने विशेषाधिकार समिति के सभी सदस्यों के लिए एक सामान्य तथ्यात्मक मंच के रूप में काम किया, जहाँ से सदस्यों ने छह याचिकाकर्ताओं के कार्यों पर चर्चा की और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।

39. राजा राम पाल मामले में इस अदालत ने विधायी निकायों में कार्यवाही के संदर्भ में प्राकृतिक न्यायाधीश के नियमों के प्रश्न पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दियाः

> "जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि इन मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा सीमित और सीमित है। उचित अवसर के गैर-अनुदान के संबंध में हम हाल ही में जो आयोजित किया गया था उसे दोहराते हैं जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य यह कि प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांत अपरिवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन लचीले हैं; उन्हें एक कठोर सांचे में नहीं डाला जा सकता है और एक संकीर्ण व्यवस्था में नहीं रखा जा सकता है और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसके अनुपालन पर विचार किया जाना चाहिए। " निकाला गया भाग निर्णय में पैराग्राफ 446 का एक हिस्सा है।

40. जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2006) 11 एस. सी. सी. 1, इस अदालत ने विधानमंडल में कार्यवाही (संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई) के

संदर्भ में प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों के दायरे पर चर्चा की और इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

> "निस्संदेह, अध्यक्ष, जो एक अलग प्रकृति का न्यायाधीशाधिकरण भी है, के समक्ष कार्यवाही को निष्पक्ष तरीके में और प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का पालन करते हुए संचालित किया जाना चाहिए। हालांकि, प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों को एक संकीर्ण स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। ये लचीले नियम हैं। उनकी प्रयोज्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित की जाती है। "(निकाला गया भाग निर्णय में पैराग्राफ 44 का एक हिस्सा है।)

41. प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को वीडियो रिकॉर्डिंग देखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। शायद उन्हें यह समझाने का अवसर मिला होगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग में सभी या उनमें से कुछ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए कोई सबूत/सामग्री क्यों नहीं है या यह समझाने के लिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग की व्याख्या अलग तरह से की जानी चाहिए थी।

42. विशेषाधिकार समिति को अनिवार्य रूप में इस अवसर की पेशकश आदेश चाहिए थी, ताकि उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। अनुच्छेद 14. याचिकाकर्ता संख्या 1 क्रमांक विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी नोटिस के अपक्रमांक उत्तर पत्र में वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान किए क्रमांक पर आगे स्पष्टीकरण दे क्रमांक की अनुमति मांगी है। याचिकाकर्ता संख्या 3 क्रमांक अपक्रमांक उत्तर पत्र में कहा है कि उनका मानना है कि उनके आचरण का उनका बयान वीडियो रिकॉर्डिंग से साबित होगा। अन्य याचिकाकर्ता अपने उत्तर पत्रों में वीडियो रिकॉर्डिंग का उल्लेख नहीं करते हैं। हालाँकि, वीडियो रिकॉर्डिंग की एक प्रति के लिए अनुरोध करना

याचिकाकर्ताओं का बोझ नहीं है। यह सुनिश्चित करना विशेषाधिकार समिति का कानूनी दायित्व है कि प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा आदेश के लिए याचिकाकर्ताओं को वीडियो रिकॉर्डिंग की एक प्रति प्रदान की जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग की एक प्रति प्रदान आदेश में विफलता या याचिकाकर्ताओं को समिति द्वारा भरोसा किए गए वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने का अवसर प्रदान आदेश में विफलता के परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ अर्थात मामले को पूरा आदेश के लिए एक उचित अवसर से इनकार। इसलिए, हमारे पास तमिलनाडु विधानसभा में दिनांक 1 के विवादित प्रस्ताव को दरकिनार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसी के अनुसार अलग रखा जाता है।

43. तमिलनाडु विधानसभा के दिनांक 1 के विवादित प्रस्ताव को दरकिनार करने का परिणाम यह है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए आनुषंगिक वेतन और अन्य लाभ छह याचिकाकर्ताओं को बहाल कर दिए गए हैं।

44. ऊपर दर्ज किए गए निष्कर्ष को देखते हुए, हम याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रस्तुतियों से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं देखते हैं।

45. जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिट याचिका की अनुमति है।

निधि जैन रिट याचिका स्वीकार है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावाहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।